कार्यालय/न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक–क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक–18.05.2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण,
उज्जैन/तराना/महिदपुर/बड़नगर/नागदा/खाचरौद

लॉकडाउन–04 के तहत उज्जैन "रेड झोन" होने के कारण सामान्य कार्य (दिन–प्रतिदिन के न्यायिक कार्य) बंद है, केवल अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य संपादित किये जा रहे हैं। ऐसी संभावना है कि 01 जून, 2020 से न्यायालय के नियमित कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में माह जून में सिविल मामले निराकृत किये जा सकते हैं।

जब उज्जैन, इन्दौर और भोपाल में सामान्य न्यायिक कार्य बंद थे, तब स्थितियां सामान्य होने के कारण अन्य जिलों में ऐसे न्यायिक कार्य करने के आदेश दिये गये थे, जिनका निराकरण केवल अधिवक्ता के तर्क द्वारा हो सकता है, जिनमें क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिव्हीजन, सिविल अपील, मिसलेनियस सिविल अपील, अन्य सिविल एवं क्रिमिनल के वे मामले जो अंतिम तर्क की स्टेज पर हैं और जिनका निराकरण तर्क कर गुण–दोष पर हो सकता है और क्रिमिनल एम.जे.सी., सिविल एम.जे.सी., समरी प्रकरण, जिनका निराकरण केवल तर्क द्वारा किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में सभी न्यायाधीशगण माह जून एवं जुलाई 2020 में अपनी बोर्ड डायरी के अनुसार उपरोक्त प्रकार के मामले नियत करें, अन्य मामले जिनमें पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक है या वांछनीय है, वे मामले 01 अगस्त, 2020 के पश्चात नियत किये जावे और तदनुसार बोर्ड डायरी एवं सी.आई.एस. में मामले नियत किये जावे।

18/5/2020
(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां0 क्रमांक–क्यू–1/2020 उज्जैन, दिनांक–18.05.2020

प्रतिलिपि–

1. प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग सेक्शन, जिला न्यायालय, उज्जैन
2. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
3. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन
5. समस्त प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय, जिला उज्जैन
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/5/2020
(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

Scanned by CamScanner